



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

नर्मदापुरम रोड, भोपाल (म.प्र.) पिनकोड: 462026

ई-मेल: syllabuscellbu@gmail.com

7/5
आजादीक
अमृत महोत्सव

क्र.: 2966/अकादमी/पाठ्य.प्र./2024


भोपाल, दिनांक: 08/01/2025

:: अधिसूचना ::

सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि, राज्य परियोजना संचालनालय, विश्व बैंक परियोजना, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक: 3042/वि.बै.परि/2024 दिनांक: 29/11/2024 के परिप्रेक्ष्य में अवगत कराया गया है कि, प्रदेश के समस्त अशासकीय महाविद्यालयों द्वारा एन.आई.आर.एफ. हेतु रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है। जिस महाविद्यालय का एन.आई.आर.एफ. में रजिस्ट्रेशन नहीं है उन महाविद्यालयों को अगले वर्ष एन.ओ.सी. प्रदान नहीं किया जायेगी। विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि, एन.आई.आर.एफ. में रजिस्ट्रेशन कर इसकी सूचना अनिवार्यतः विश्वविद्यालय को प्रदान की जाए।

संलग्न-उपरोक्तानुसार


आदेशानुसार,


कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
भोपाल, दिनांक: 08/01/2025

पृ. क्रमांक: 2966/अकादमी/पाठ्य.प्र./2024
प्रतिलिपि:-

1. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
3. विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त समस्त अशासकीय महाविद्यालयों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. जनसंपर्क अधिकारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की ओर सूचनार्थ।
5. वेबसाईट, प्रभारी की ओर सूचनार्थ कि, उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों को भी विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
6. निज सचिव के माध्यम से माननीय कुलगुरु जी को सादर सूचनार्थ।
7. निज सहायक के माध्यम से कुलसचिव जी को सादर सूचनार्थ।
8. निजी नस्ती।


सहा-कुलसचिव (अकादमी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

राज्य परियोजना मंचालनालय, विश्व बैंक परियोजना
उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल
भूतल, सतपुडा भवन, भोपाल

ई-मेल : spdmpwb@gmail.com, (फोन नं.- 0755-2928814)

क्रमांक 3042/वि. वै.परि/2024

दिनांक 29/11/2024

प्रति,


1. कुल सचिव,
समस्त निजी विश्वविद्यालय
मध्यप्रदेश।
2. प्राचार्य,
समस्त अग्रणी शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।
3. प्राचार्य,
समस्त अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय :- प्रदेश के समस्त अशासकीय महाविद्यालयों में NIRF के सम्बन्ध में।

--0--

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त अशासकीय महाविद्यालयों द्वारा NIRF हेतु रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है। जिस महाविद्यालय का NIRF में रजिस्ट्रेशन नहीं है उन महाविद्यालयों को अगले वर्ष NOC प्रदान नहीं की जायेगी।


अतः समस्त कुल सचिव एवं अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्य से अनुरोध है कि सभी अशासकीय महाविद्यालयों को NIRF में अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।


(डॉ. उपा के नायर)

सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय नैक प्रकोष्ठ, म.प्र.

1782/R
29/11/24

A-R Acad.





दिनांक 29/11/2024

क्रमांक 3043/वि. वै.परि/2024
प्रतिलिपि :-

1. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ।
3. निज सहायक, कुलपति, समस्त अशासकीय/निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।

460/प्रकोष्ठ
05.12.24





सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय नैक प्रकोष्ठ, म.प्र.

29/11/24
मि.प्र.प्र.
ms